

9 CMS  
2020/00072  
08/02/2021

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

श्री. मोहनलाल

हलका भूका वेवासी

पुत्र श्री. सुदामा जाति सुमार

निवासी भूका वेवासी

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 69/वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तागिल की
23-12-2020	पटवारी हलका भूका वेवासी ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2020 में मौजा भूका वेवासी के खसरा नंबर 2713 रकबा 800 वर्ग फीट किस्म भूमि पर नाजायज अतिक्रमण कर काशत व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलव किया जावे। पत्रावली दिनांक 11-01-2021 को वमुकाम सिणधरी में पेश हों।	
11-01-2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पीगलीन अधिकारी राजकीय कार्य हेतु चौधपुर प्यारे को पत्रावली दिनांक 18-01-2021 को पेश है।	पदवली
18/01/2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। गैर सायल ने जबाब हेतु समय चाहा जो दिया जाकर पत्रावली दिनांक 27/01/2021 को पेश हों।	

तहसीलदार सिणधरी  
जिला-बाड़मेर

तहसीलदार सिणधरी  
जिला-बाड़मेर

27-01-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर साफल की तरफ से उनके वकील ने उपस्थित होकर जवाब हेतु साफल चाहा जो दिनांक 02-02-2021 को पत्रावली दिनांक 10-02-2021 को पेश हो

by  
तहसीलदार/सिणधुरी  
जिला-बाड़मेर

10-2-2021

पत्रावली पेश हुई। प्रौद्योगिकी अधिकारी आठ उद्युष्टी पर स्थिती पत्रावली हे पत्रावली दिनांक 17-2-2021 को पेश हो।

10-2-2021

17-2-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर साफल अनुपास्थित। गैर साफल को जवाब हेतु अन्तिम अवसर दिनांक 22-2-2021 को पेश हो।

by  
तहसीलदार/सिणधुरी  
जिला-बाड़मेर

22-2-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर साफल अनुपास्थित। गैर साफल को जवाब हेतु बार बार अवसर दिले जाने के उपरान्त भी कोई विधि सम्मत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गैर साफल को अतिरिक्त मानते हुए पत्रावली फेसल सुनार हो। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फेसल सुनार होकर डाखिल इफतार हो।

by  
तहसीलदार/सिणधुरी  
जिला-बाड़मेर